

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

मांग संख्या 15

उपभोक्ता मामले विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2016-2017			बजट 2017-2018			संशोधित 2017-2018			बजट 2018-2019		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	7250.82	12.57	7263.39	3723.10	21.35	3744.45	3716.85	17.00	3733.85	1755.93	48.59	1804.52
<i>वसूलियां</i>	-8.99	...	-8.99	-17.45	...	-17.45	-17.45	...	-17.45	-19.35	...	-19.35
<i>प्राप्तियां</i>
निवल	7241.83	12.57	7254.40	3705.65	21.35	3727.00	3699.40	17.00	3716.40	1736.58	48.59	1785.17
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	74.69	...	74.69	81.99	...	81.99	85.99	...	85.99	94.99	...	94.99
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
उपभोक्ता संरक्षण												
2. मूल्य स्थिरीकरण कोष	6899.98	...	6899.98	3500.00	...	3500.00	3500.00	...	3500.00	1500.00	...	1500.00
3. कॉन्फोनेट	6.00	...	6.00	10.00	...	10.00	14.50	...	14.50	18.50	...	18.50
4. उपभोक्ता जागरूकता (विज्ञापन एवं प्रचार)	58.68	...	58.68	62.00	...	62.00	62.00	...	62.00	70.00	...	70.00
5. उपभोक्ता हेल्पलाइन	1.99	...	1.99	2.00	...	2.00	1.50	...	1.50	1.17	...	1.17
6. उपभोक्ता संरक्षण सेल	2.80	...	2.80	3.00	...	3.00	5.00	...	5.00	9.50	...	9.50
7. मूल्य निगरानी ढांचा	0.41	...	0.41	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	2.00	...	2.00
8. उपभोक्ता मंचों का सुदृढीकरण, उपभोक्ता परामर्श एवं मध्यस्थता	9.66	...	9.66	17.00	...	17.00	5.40	...	5.40	13.00	...	13.00
9. <i>उपभोक्ता कल्याण निधि</i>												
9.01 उपभोक्ता कल्याण निधि	15.05	...	15.05	17.45	...	17.45	17.45	...	17.45	19.35	...	19.35
9.02 उपभोक्ता कल्याण निधि से मिला	-8.16	...	-8.16	-17.45	...	-17.45	-17.45	...	-17.45	-19.35	...	-19.35
<i>निवल</i>	<i>6.89</i>	...	<i>6.89</i>
जोड़-उपभोक्ता संरक्षण	6986.41	...	6986.41	3595.00	...	3595.00	3589.40	...	3589.40	1614.17	...	1614.17
विधिक माप विज्ञान एवं गुणवत्ता आश्वासन												
10. <i>भारतीय मानक संस्थान</i>												
10.01 भारत में सोने पर हॉलमार्किंग/परख केंद्रों की स्थापना करना	1.18	...	1.18	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
10.02 राष्ट्रीय मानकी निर्माण प्रणाली	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2016-2017			बजट 2017-2018			संशोधित 2017-2018			बजट 2018-2019		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़- भारतीय मानक संस्थान	1.18	...	1.18	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
11. राष्ट्रीय परीक्षण शाला	4.87	8.55	13.42	6.00	14.00	20.00	5.30	11.70	17.00	8.66	20.34	29.00
12. तोलन एवं मापन ढांचे को मजबूत बनाना और क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशाला और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी का सुदृढीकरण	23.67	4.02	27.69	20.65	7.35	28.00	16.70	5.30	22.00	16.75	28.25	45.00
जोड़-विश्विक माप विज्ञान एवं गुणवत्ता आश्वासन	29.72	12.57	42.29	28.65	21.35	50.00	24.00	17.00	41.00	27.41	48.59	76.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	7016.13	12.57	7028.70	3623.65	21.35	3645.00	3613.40	17.00	3630.40	1641.58	48.59	1690.17
केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
अन्य												
13. खाद्य भंडारण एवं भंडारगारण	151.84	...	151.84	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं												
14. वास्तविक वसूलियां	-0.83	...	-0.83
कुल जोड़	7241.83	12.57	7254.40	3705.65	21.35	3727.00	3699.40	17.00	3716.40	1736.58	48.59	1785.17
ख. योजना परिव्यय												
आर्थिक सेवाएं												
1. खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	151.84	...	151.84	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
2. उद्योग	1.18	...	1.18	1.80	...	1.80	1.80	...	1.80	1.80	...	1.80
3. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	37.85	...	37.85	41.21	...	41.21	40.43	...	40.43	47.47	...	47.47
4. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	22.40	...	22.40	24.43	...	24.43	27.18	...	27.18	28.79	...	28.79
5. नागरिक आपूर्ति	6999.89	...	6999.89	3250.77	...	3250.77	3246.73	...	3246.73	1471.61	...	1471.61
6. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	29.50	...	29.50	25.03	...	25.03	22.56	...	22.56	22.70	...	22.70
7. अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	...	8.55	8.55	...	12.00	12.00	...	10.00	10.00	...	17.44	17.44
8. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	4.02	4.02	...	7.25	7.25	...	5.30	5.30	...	25.75	25.75
जोड़-आर्थिक सेवाएं	7242.66	12.57	7255.23	3343.25	19.25	3362.50	3338.71	15.30	3354.01	1572.38	43.19	1615.57
अन्य												
9. पूर्वोत्तर क्षेत्र	362.40	...	362.40	360.69	...	360.69	164.20	...	164.20
10. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	-0.83	...	-0.83
11. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	2.10	2.10	...	1.70	1.70	...	5.40	5.40
जोड़-अन्य	-0.83	...	-0.83	362.40	2.10	364.50	360.69	1.70	362.39	164.20	5.40	169.60
कुल जोड़	7241.83	12.57	7254.40	3705.65	21.35	3727.00	3699.40	17.00	3716.40	1736.58	48.59	1785.17

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान विभाग के सचिवालय व्यय के लिए है।
2. **मूल्य स्थिरीकरण कोष:** यह प्रावधान दालों के बफर स्टॉक को और बाजार में दालों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाये रखने के लिए किया जाता है ताकि जब कभी भी आवश्यकता हो मूल्यों को नियंत्रित किया जा सके।
3. **कॉन्फोनेट:** यह प्रावधान देश भर के उपभोक्ता मंचों की नेटवर्किंग और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा तकनीकी सहायता प्रदान करने वाले व्यक्तियों को उपलब्ध कराने के लिए है।
4. **उपभोक्ता जागरूकता (विज्ञापन एवं प्रचार):** यह प्रावधान विज्ञापन तथा प्रचार-प्रसार के माध्यम से उपभोक्ता शिक्षा एवं जागरूकता सृजन के लिए है।
5. **उपभोक्ता हेल्पलाइन:** यह प्रावधान उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान हेतु उपभोक्ता हेल्पलाइन की स्थापना करने और उनके संचालन के लिए है।
6. **उपभोक्ता संरक्षण सेल:** यह प्रावधान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण एकाद की वार्षिक बैठक आयोजित करने के साथ-साथ राष्ट्रीय/विश्व उपभोक्ता दिवस आयोजित किए जाने संबंधी व्यय के लिए है।
7. **मूल्य निगरानी ढांचा:** यह प्रावधान केंद्र, राज्यों के मूल्य निगरानी कक्षों के साथ-साथ एन.आई.सी. को सुदृढ़ बनाने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए है।
8. **उपभोक्ता मंचों का सुदृढ़ीकरण, उपभोक्ता परामर्श एवं मध्यस्थता:** यह प्रावधान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में राज्य/जिला स्तरीय उपभोक्ता मंचों की स्थापना के साथ-साथ स्थापित किए गए नए उपभोक्ता मंचों में बुनियादी कार्यालय अवसंरचना के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए है। उपभोक्ता मंचों के भवनों में उपभोक्ता परामर्श तथा मध्यस्थता केंद्रों की स्थापना के लिए भी वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है।
- 9.01. **उपभोक्ता कल्याण निधि:** यह प्रावधान उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को तथा उपभोक्ता वस्तुओं की जांच और तुलनात्मक जांच करने के लिए प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए है।
- 10.01. **भारत में सोने पर हॉलमार्किंग/परख केंद्रों की स्थापना करना:** यह प्रावधान निजी उद्यमों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हुए भारत में स्वर्ण हॉलमार्किंग/एसेइंग केन्द्रों की स्थापना के लिए है। शिल्पकारों के लिए प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन भी किया जाता है।
- 10.02. **राष्ट्रीय मानकी निर्माण प्रणाली:** यह प्रावधान विभिन्न राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलनों/सेमिनारों में भाग लेते हुए राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों को तैयार करने के लिए है।
11. **राष्ट्रीय परीक्षण शाला:** यह प्रावधान राष्ट्रीय परीक्षण शाला के फील्ड कार्यालयों में विभिन्न प्रयोगशालाओं की स्थापना करने/उन्नयन करने के लिए है जिसमें आग्नेयास्त्रों को छोड़कर भारी मशीनरी सहित सभी वस्तुओं का परीक्षण किया जाता है।
12. **तोलन एवं मापन ढांचे को मजबूत बनाना और क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशाला और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी का सुदृढ़ीकरण:** यह प्रावधान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को उनकी विधिक माप विज्ञान प्रयोगशालाओं के लिए मशीनरी तथा उपकरण उपलब्ध कराने के लिए है। कार्यशील मानक/गौण मानक प्रयोगशालाओं, नियंत्रक कार्यालयों तथा अनुसंधान एवं विकास केंद्रों की स्थापना के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
13. **खाद्य भंडारण एवं भंडारगारण:** यह प्रावधान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सहकारिताओं को दालों के आयात संबंधी हानियों की प्रतिपूर्ति के लिए है।